Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 12, Issue 2 | November 2024 - April 2025 | pp. 54-58

जैन एवं बौद्ध साहित्य में नारी शिक्षा

प्रिया पाण्डेय

शोधार्थी, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

शोध सारांश

किसी भी समाज का आकलन एवं मूल्यांकन उसकी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति पर आधारित होता है। यदि भारतीय इतिहास के पन्नों को देखा जाये तो भारतीय इतिहास में स्त्री-विकास के अनेक पहलू दिखाई पड़ते हैं। स्त्री समाज का आधार है। इस कारण वह इस समाज का महत्वपूर्ण अंग है। स्त्री के ऊपर ही समाज की सम्पूर्ण उन्नति और विकास आधारित होता है। स्त्री की वर्तमान सामाजिक स्थिति समाज में आध्यात्मिकता, सामाजिकता, धार्मिकता एवं भौतिकता की उन्नति का दर्पण है। यहाँ नारी महिमामयी देवी दुर्गा है, काली है, तो दूसरी ओर पुरुष प्रधान समाज के द्वारा सताई एवं कुचली गयी अबला है। प्रस्तुत शोध प्रपत्र में जैन एवं बौद्ध साहित्य में नारी शिक्षा संबंधी क्या प्रमाण प्राप्त होते हैं, इसका उल्लेख किया गया है। जैन एवं बौद्ध काल में प्रत्यक्षतः नारी शिक्षा के प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन बौद्ध व जैन साहित्यों के अध्ययन से महिलाओं के शिक्षित होने के प्रमाण दृष्टिगोचर होते हैं। भारतीय समाज के क्रमागत विकास के अध्ययन द्वारा जैन एवं बौद्ध साहित्य में नारी की स्थिति तथा नारी शिक्षा से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर ढूढ़ने का प्रयास इस शोध प्रबंध में किया गया है। इस शोध-प्रपत्र में महिलाओं को तत्कालीन साहित्य में शिक्षा के क्या अधिकार प्राप्त थे और किस परिस्थिति में प्राप्त थे, इसका अध्ययन किया गया है। महिलाओं को दी जाने वाली शिक्षा व संबंधी विषयों का अध्ययन भी इसमें किया गया है।

संकेताक्षर—*परिभाषण, परिवारण, प्रव्रज्या, उपसम्पदा, हस्तावलम्बन*

प्रस्तावना

भारतीय समाज में स्त्री का स्थान अति-महत्वपूर्ण हमेशा से ही रहा है, स्त्रियों ने सदैव अपना योगदान समाज के पुर्नगठन व रचनात्मकता के लिए दिया है उनकी सही शक्ति का प्रयोग करके समाज को अति संस्कारित व विकसित बनाया जा सकता है। किसी राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण तथा विकास में स्त्री का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि भारत के धार्मिक शास्त्रों में स्त्री को परम इष्ट की श्रेणी में रखा गया है तथापि प्रत्येक भारतीय साहित्य में किसी ना किसी रूप में नारी को पुरुषों से हीन समझा गया है, उसे भोग की वस्तु मानकर अपमानित भी किया गया है। जिस तरह समाज में शूद्रों की स्थिति दासता और सेवावृत्ति में हम पाते हैं, उसी तरह नारी की स्थिति भी गृह-प्रबन्ध और पति सेवा में ही विशेष रूप से देखते हैं।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध-प्रबंध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

- जैन एवं बौद्ध काल में प्रचलित नारी शिक्षा के तात्कालिक स्वरूप का अध्ययन करना।
- जैन एवं बौद्ध साहित्य में स्त्री शिक्षा के प्राप्त प्रमाणों का अध्ययन।
- स्त्री शिक्षा के क्रमिक विकास का अध्ययन।
- जैन एवं बौद्ध काल में नारी को प्राप्त शिक्षा के शैक्षणिक विषयों का अध्ययन।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध में प्रमुखतः जैन एवं बौद्ध काल में शिक्षा संबंधी तथ्यों का सरल रीति से निरूपण करने की चेष्टा की गयी है। अध्ययन का क्षेत्र नारी शिक्षा से संबंधित है। जिसके लेखन हेतु जैन एवं बौद्ध कालीन समाज एवं संस्कृति का अध्ययन किया गया है। चयन विषय की ऐतिहासिकता के कारण शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया गया है तथा शोध लेखन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों की सहायता ली गयी है।

जैनकाल एवं बौद्धकाल में नारी शिक्षा का स्वरूप

जब हम जैन व बौद्ध साहित्य का अनुशीलन करते हैं, तो हमें स्त्री-शिक्षा के विषय में बहुत-सी जानकारी प्राप्त होती हैं। उस काल में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त थी। स्त्रियों का शिक्षित होना असंगत तथा व्यर्थ नहीं माना जाता था अन्यथा, इतनी सुशिक्षित स्त्रियों का बौद्ध धर्म में पारंगत होना तथा उसके प्रचार के लिए प्रयत्न करना असंभव था। इस समय स्त्रियों को समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग समझा जाता था, और समाज में उनकी स्थिति सम्मानजनक थी। यही कारण है कि राजगृह जैसे प्रसिद्ध नगर में उनके व्याख्यान खुले रुप में हो सकते थे। प्रसेनजित जैसे प्रसिद्ध राजा भी अपनी शंकाओं का निवारण करने के लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुआ करते थे।

जैन-दर्शन के अनुसार जो ज्ञान व्यक्ति को सद्जीवन की ओर प्रेरित करता है वही विद्या है। ज्ञान चाहे सांसारिक हो अथवा धार्मिक अथवा व्यावसायिक, यदि वह व्यक्ति तथा समाज के लिए हितकारी है तो उसे शिक्षा का अंग माना जाएगा अन्यथा नहीं। वही ज्ञान उपयोगी है, जो मनुष्य को सद्चरित्र की ओर प्रेरित करे। जैन दर्शन में शिक्षा उदात्त जीवन हेतु एवं निर्वाण प्राप्ति हेतु सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक-चरित्र की प्रक्रिया है। महावीर ने आरम्भ से ही स्त्रियों और पुरुषों का समान माना। वे धर्म तथा आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में स्त्री को सहभागी बनाते हैं। यही कारण है कि जैन संघों में नारी को भी दीक्षा प्रदान की गई। जैन साहित्य में कई जैन भिक्षुणियों और सामान्य महिलाओं के नाम और विवरण दर्ज हैं जिन्होंने ज्ञान और जैन धर्म की प्रगति में अपना योगदान दिया। वे अपनी विद्या और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी।

स्त्रियों की शिक्षा के बारे में गौतम बुद्ध के विचार वैदिक काल से अलग थे। बौद्धकाल में बौद्ध मठों एवं विहारों में सभी स्त्री व पुरुषों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई, इस काल में स्त्रियाँ पुरुषों की भाँति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। बौद्ध शिक्षा के अन्तर्गत नारी शिक्षा प्रारम्भ करने हेतु प्रव्रज्या संस्कार लड़कों के समान ही लड़कियों का भी सम्पन्न किया जाता था। प्रव्रज्जित नारी भिक्षुणी कहलाती थी। जो भिक्षुणी आजीवन भिक्षुणी बने रहकर संघ की सेवा करना चाहती थी उनका 'उपसम्पदा' संस्कार भी भिक्षुओं के समान सम्पन्न किया जाता था। महात्मा बुद्ध ने नारी प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा की अनुमति दी थी किन्तु इसके साथ आठ शर्तें भी लगा दी थी जो निम्न थीं—1. भिक्षुणियाँ श्रमणों का आदर करेंगी। 2. अभिक्षु-कुल में भिक्षुणियों का वर्षावास नहीं होगा। 3. प्रत्येक पखवार के भिक्षुणियाँ भिक्षु संघ से उपोसथ प्राप्त करेंगी। 4. वर्षावास के अनन्तर भिक्षुणियों को दोनों संघों में दृष्ट, श्रुत और परिशंकित तीनों स्थानों में प्रवारण करनी पड़ेगी। 5. भिक्षुणियाँ दोनों संघों में पक्ष मानना करेंगी। 6. दो वर्ष के अन्तर्गत छः धर्मों में शिक्षित होकर भिक्षुणी को दोनों संघों में उपसम्पदा की प्रार्थना करनी पड़ेगी। 7. भिक्षुणी को आक्रोश परिभाषण नहीं करना होगा तथा 8. भिक्षुओं के सम्बन्ध में कुछ कहने का मार्ग भिक्षुणियों के लिए निरूद्ध होगा। बौद्धकाल में भाषा साहित्य, धर्म व दर्शन की शिक्षा स्त्रियाँ प्राप्त करती थी।

जैन एवं बौद्ध साहित्य में नारी शिक्षा के प्रमाण

जैन और बौद्ध साहित्य में स्त्रियों के सुशिक्षित होने के साक्ष्य मिलते हैं। 'भगवती सूत्र' में राजा सहस्राणीति की पुत्री का आजीवन अविवाहित रहकर धर्म व दर्शन का उच्च ज्ञान प्राप्त कर महावीर के साथ वाद-विवाद करने का उल्लेख मिलता है। एक अन्य जातक में रानी उदुम्बरा को शिक्षिता कहा गया है। मौर्यवंशीय राजा अशोक की पुत्री संघमित्रा ने लंका जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार किया था। इस समय तक नारी शिक्षा का उत्थान अवश्य हुआ किन्तु इस समय केवल गृहत्याग कर मठों तथा विहारों में रहने वाली भिक्षुणियां ही शिक्षा प्राप्त करती थी, सभी स्त्रियाँ नहीं। एक अन्य जातक कथा में हम उल्लेख पाते हैं कि चार परम विदुषी स्त्रियां थीं, जो देश में पर्यटन करते हुए जहाँ कहीं भी जाती थी, वहाँ विद्वानों को शास्त्रार्थ हेतु आमन्त्रित किया करती थी। जनविदित है कि कवि

कालिदास की पत्नी विद्योतमा विदुषी महिला थी उसने अनेक पण्डितों को शास्त्रार्थ में हराया था। बाणभट्ट ने कादम्बरी की नायिका महाश्वेता को यज्ञोपवीत धारण करने पवित्र शरीर वाली बताया है।

जैन साहित्य में स्त्री-शिक्षा के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। ऋषभनाथ की दो पुत्रियाँ थीं जिनका नाम था ब्राह्मी और सुंदरी। ऋषभनाथ ने ब्राह्मी को अठारह अक्षरों का ज्ञान और सुंदरी को अंकगणित की शिक्षा दी। यह कहा जाता है कि भारत की प्राचीन लिपि 'ब्राह्मी लिपि' का नाम ऋषभ की पुत्री के नाम पर पड़ा है, जिसने सबसे पहले लिपियों का ज्ञान प्राप्त किया था। पद्मपुरा या तक्षशिला पर शासन करने वाले ऋषभ के पुत्र बाहुबली का अपने बड़े भाई चक्रवर्ती भरत से युद्ध हुआ। युद्ध में बाहुबली विजित हुआ किन्तु उसने जीवन और सांसारिक सुखों की नगण्यता का विचार कर अपना राज्य त्यागकर भिक्षु बन गया। किन्तु कठोर अभ्यास और गहन ध्यान के बावजूद उसे अंतिम ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब ब्राह्मी और सुंदरी ने उसे सुझाव दिया कि उसे अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। उन दोनों की शिक्षा का अनुसरण करके बाहुबली को सर्वज्ञता प्राप्त हो गई। स्थूलभद्र की सात बहनें (महावीर के निर्वाण के लगभग 150 वर्ष बाद), यक्ष और अन्य, अपनी स्मृति के कारनामों के लिए जानी जाती थीं, वे सभी जैन भिक्षुणियाँ बन गईं। आर्य व्रज जब छः साल के थे, तब उन्हें एक जैन संत को सौंप दिया गया था, जिसने उसे कुछ जैन भिक्षुणियों की देखभाल में छोड़ दिया था। इन भिक्षुणियों ने उसे धर्मग्रंथ आदि पढ़ाए और प्रशिक्षित किया। उसे इस तरह से तैयार किया गया कि वह लड़का अंततः एक महान जैन आचार्य (शिक्षक) बन गया।

जैन धर्म में शैक्षिक आदर्श

जैन साहित्य का गहराई से अध्ययन करने पर अनेक साध्वियों के ज्योतिर्मय जीवन का विस्तृत स्वरूप प्राप्त होता है। साध्वियों ने उत्कृष्ट रूप से संयम व साधना के द्वारा संसार रूपी सागर के भंवरों में गोते खाने वाले भव्य जीवों को व्रतों का हस्तावलम्बन देकर बाहर निकाला। यथार्थ में उज्ज्वल तारिका साध्वीरत्नों ने जहाँ निजी जीवन में अध्यात्म का आलोक फैला कर पारलौकिक जीवन के सुधार की महती और व्यापक भूमिका का कुशलता के साथ निर्वाह किया है वहीं धर्म प्रचार के गौरवपूर्ण अभियान में भी एक अद्‌भुत उदाहरण उपस्थित करने में सक्षम रही है। इन साध्वियों तथा श्रमणियों में हम याकिनी महत्तारा, ब्राह्मी, चंदना, सुन्दरी, राजमति, पुष्पचूला, प्रभावती, मृगावती, शिवा, सुलसा, सुभद्रा का नाम इतिहास में पाते हैं, जिन्होंने नारी के गौरवमय अतीत को अभिव्यक्त किया हैं।

बौद्ध धर्म में शैक्षिक आदर्श

बौद्ध युग में स्त्री-शिक्षा का प्रचार-प्रसार था। इस युग में अनेक स्त्रियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में उच्च स्थिति प्राप्त की थी। थेरी गाथा में बहुत-सी ऐसी थेरियों (स्थविर-स्त्रियों) का उल्लेख है, जो कवयित्रियाँ थी। इनमें से 32 स्त्रियां ऐसी थी जो आजीवन ब्रह्मचारिणी रही, और 18 ने वैवाहिक जीवन के पश्चात् भिक्षुव्रत ग्रहण किया था। इन स्त्रियों में शुभा, अनुपमा और सुमेधा के नाम उल्लेखनीय हैं। ये उच्च संभ्रांत कुलों में उत्पन्न हुई थी और अनेक राजकुमार तथा श्रेष्ठि पुत्र इनसे विवाह करने के लिये उत्सुक थे, किन्तु इन्होंने सांसारिक जीवन, मोह-माया का त्याग कर भिक्षुणी के रूप में जीवन जीना स्वीकार किया। अपने उच्च ज्ञान के कारण ये 'थेरी' का पद प्राप्त करने में समर्थ हुई थी। बौद्ध धर्म में खेमा, भद्रा कुण्डलकेशा, सुक्का, संघमित्रा, महाप्रजापति गौतमी, पट्टाचारा, आम्रपाली इत्यादि स्त्रियों का उल्लेख मिलता हैं जिन्होंने अपने ज्ञान व बुद्धिमता से बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में प्रभावशाली सहयोग किया।

बौद्ध भिक्षुओं की तरह, बौद्ध भिक्षुणियों ने भी बुद्ध की शिक्षाओं का अभ्यास करने के लिए अपना पारिवारिक जीवन छोड़ दिया। बुद्ध के निधन के बाद, उनके सभी भिक्षुओं और भिक्षुणियों, पुरुष और महिला शिष्यों ने, बुद्ध की शिक्षाओं को बनाए रखने के लिए लोगों को धम्म की शिक्षा देना जारी रखा। अपादान महान काव्यात्मक उत्कर्ष के साथ इन सभी समृद्ध जीवनी संबंधी विवरण प्रदान करता है। खुद्दक निकाय के एक भाग, थेरीगाथा (बुजुर्ग भिक्षुणियों के छंद) में कई छंद शामिल हैं जो स्पष्ट रूप से संत भिक्षुणियों द्वारा संघ में प्रवेश करने और सत्य का एहसास करने की क्षमता पर अनुभव की गई खुशी की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अंगुत्तर निकाय बौद्ध महिलाओं, भिक्षुणियों और उपासिकाओं (नन और आम महिला) का एक बहुत व्यापक रिकॉर्ड देता है, जिन्होंने न केवल धम्म के अनुयायियों के रूप में बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं

के प्रचारक के रूप में भी महान काम किया। प्रत्येक पुरुष की तरह प्रत्येक महिला में भी अरिहंत बनने की क्षमता थी।

जैन एवं बौद्ध साहित्य में शैक्षणिक विषय

जैन व बौद्ध साहित्य में स्त्रियों को धार्मिक शिक्षा दिये जाने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। जैन व बौद्ध साहित्य में स्त्रियों को दर्शन व तप की शिक्षा दिये जाने का उल्लेख मिलता है। यद्यपि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उस समय समाज की सभी स्त्रियों को दर्शन व तप की शिक्षा दी जाती थी फिर भी इसकी सम्भावना व्यक्त की जा सकती है कि राज-परिवार तथा कतिपय वर्गों की स्त्रियों को इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती थी और ये स्त्रियाँ कभी-कभी अपने तपोबल के कारण समाज में विशिष्टता प्राप्त करने में सफल हुई थीं। अपने तपोबल के कारण वह भिक्षुणी जीवन की समस्त कठिनाइयों पर विजय पाती थी। बौद्ध धर्मग्रंथों में स्त्रियों को संगीत व नृत्य की शिक्षा प्रदान करने के संकेत मिलते हैं। एक जातक में मन्हा नामक स्त्री की संगीत-पटुता का वर्णन है। अनेक स्थानों पर कार्य में लगी हुई कन्याओं और स्त्रियों को गीत गाते हुए उल्लेखित किया गया है। इसके अतिरिक्त वीणा, तबला, ढ़ोल आदि विभिन्न वाद्य यंत्रों का उल्लेख भी बौद्ध ग्रंथों में है। बौद्ध काल में भी स्त्रियों को कताई, बुनाई, सिलाई इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी, जो आवश्यकता पड़ने पर उनके जीविकोपार्जन में सहायक होती थी। बौद्ध साहित्य में कन्याओं को शिक्षा देने की समुचित व्यवस्था का ज्ञान नहीं मिलता, परन्तु बहुत सी शिक्षित कन्याओं का उल्लेख अवश्य मिलता है थेरीगाथा में बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा रचित गीतों का संग्रह है। इनसे उनकी विद्वता, पवित्रता और अन्तः संतुष्टि प्रकट होती है। इन भिक्षुणियों में सुमा, सुमेधा और अनोपमा प्रसिद्ध हैं। जैन व बौद्ध संघ में यद्यपि नारियों को मठों तथा विहारों में शिक्षा दी जाती थी, परन्तु यह शिक्षा केवल गृह त्याग कर भिक्षुणी संघ में सम्मिलित होने वाली नारियों को ही प्राप्त होती थी। बौद्ध ग्रंथों में भी गुरुकुलों में शिष्य-शिष्याओं का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि तत्कालीन वेश्याएँ भी पर्याप्त रूप से शिक्षित और सुसंस्कृत होती थीं। इस सम्बन्ध में आम्रपाली का उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण है। यह वैशाली की प्रसिद्ध गणिका थी। जब महात्मा बुद्ध वैशाली गये तो आम्रपाली ने उन्हें अपने घर पर भोजन के लिये आमन्त्रित किया। महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनकर आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बन गई। इन उदाहरणों से कन्याओं की उच्च कोटि की शिक्षा देने की उचित व्यवस्था का ज्ञान नहीं होता है। तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय केवल लड़कों के लिये ही निश्चित था। कन्याएँ यहां शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थीं। अल्तेकर लिखते हैं कि बचपन में कन्याओं का विवाह किये जाने के कारण नारियां शिक्षा-विहीन रहती थीं।

जैन एवं बौद्ध साहित्य में विदुषी महिलाओं के उदाहरण

जैन व बौद्ध साहित्य में विदुषी महिलाओं के अनेक उल्लेख मिलते हैं। प्रजा सहस्त्रानीति की पुत्री जयन्ती को धर्म व दर्शन का उच्च ज्ञान था। खेमा ने अपने प्रकाण्ड दार्शनिक ज्ञान तथा सूक्ष्म विवेचन से तत्कालीन राजा प्रसेनजित को आश्चर्य चकित कर दिया था। धम्मदिन्ना बौद्ध धर्म की लब्धप्रतिष्ठित प्रचारिका थी। डॉ. विमल चन्द्र पाण्डेय के अनुसार बौद्ध साहित्य में वर्णित भिक्षुणियों में महाप्रजापति खेमा, किसागातकी, वाजिरा, मुखा, तुलनन्दा विशेष उल्लेखनीय है जो कुशाग्रबुद्धि, तर्कशीलता, ज्ञानशीलता तथा जिज्ञासा से उपनिषद काल की प्रसिद्ध विदुषी मैत्रेयी और गार्गी की कोटि की थी। इन भिक्षुणियों की साधना और विद्वता ने बौद्ध व्यवस्था के अन्तर्गत स्त्री का स्थान ब्राह्मण धर्म व्यवस्था की अपेक्षा उच्चतर बना दिया था। मोक्ष का अधिकार भी इन्हें प्राप्त हो चुका था।

जैन व बौद्ध धर्म में भिक्षुणी संघ की स्थापना से अनेक स्त्रियों ने इन धर्मों में दीक्षित होकर भिक्षुणी का जीवन अपनाया तथा धर्म व दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। जैन साहित्य में आर्यदक्षिणी, पुष्पचूला, महासुद्रता तथा विर्नभिका आदि अनेक विदुषी धर्म प्रचारिकाओं का उल्लेख मिलता है जिनको उच्च कोटि का दार्शनिक ज्ञान प्राप्त था। बौद्ध साहित्य में भी महाप्रजापति खेमा, इत्यलवण्णा, वाजिरा, सुखा, तुलनन्दा आदि अनेक विदुषी भिक्षुणियों का उल्लेख मिलता है जो प्रकाण्ड दार्शनिक ज्ञान रखती थीं। इन भिक्षुणियों का जीवन भी तपस्विनियों के ही समान था और समाज में इन्हें पर्याप्त सम्मान प्राप्त था।

निष्कर्ष

नारी के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के बाद स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय नारी का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं था। नारी का जीवन पति, पति के परिवार, गृह सम्बन्धी कार्य, सन्तान उत्पत्ति तक ही सीमित हो गया था। नारी का सामाजिक स्थान पुरुष की अपेक्षा सदैव गौण ही रहा। वह पराधीन तथा निर्धन

ही कहलाती थी। किसी न किसी पुरुष के अधिकार में रहना उसके लिये अनिवार्य माना जाता था। वह प्रायः पिता पति और पुत्र के अधिकार में ही रहती थी। नारी को पति के बाद अपनी सन्तान का पालन करने में ही लगे रहना था। सन्तान के पूर्ण वयस्क बनने तक उसे अपनी स्वतन्त्र विचारधारा का परित्याग करना अनिवार्य था। नारी प्राचीन भारत में स्वतन्त्र सम्पत्ति की अधिकारिणी भी नहीं थी। नारी को दहेज में माता-पिता से जो धन मिलता था, उसी पर पैतृक धन के रूप में उसका अधिकार रहता था।

नारी का त्याग, बलिदान एवं पतिव्रत धर्म समाज का उज्ज्वल पक्ष रहा है। गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा है कि 'स्त्रियों में अनेक गुण हैं, संसार में प्रथम उन्हीं की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं में बीज अंकुरित होते हैं तथा उन्हीं से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अपने प्राण देकर भी उन्हें प्राप्त होने वाला कौन-सा मनुष्य उनसे विरक्त है। जातकों में नारी के सभी पक्षों का अध्ययन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि समाज में स्त्रियों का सम्मान था। राजघरानों एवं उच्च घरानों में बहु-विवाह का प्रचलन था। विधवाओं को पुनर्विवाह की छूट थी। सामान्यतः कन्याओं का विवाह युवती होने पर ही होता था। पत्नियाँ अपने पतियों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर उनका सहयोग करती थी। वैसे समाज में दुराचारिणी, कुलटा एवं व्यभिचारिणी महिलाओं के अनेकानेक उदाहरण मिलते हैं, परन्तु उसके लिये हम सम्पूर्ण नारी जाति को दोषी नहीं ठहरा सकते। स्त्रियां धार्मिक, पतिव्रता, विदुषी एवं ललित कलाओं व अन्य सामान्य कलाओं में अति निपुण होती थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अल्तेकर, ए.एस., एजूकेशन इन एन्शियेण्ट इण्डिया, ग्यान बुक्स, नई दिल्ली, जनवरी 2001, पृ.सं. 7-11
2. अग्रवाल, जे.सी., भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास, आर.एस.ए. इण्टरनेशल, आगरा, जनवरी 2014, पृ.सं. 13-15
3. नारायण, द्विजेन्द्र एवं श्रीमाली, कृष्ण मोहन, प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली, 2019, पृ.सं. 137
4. बाशम, ए.एल., अद्भुत भारत, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, 2020, पृ.सं. 193
5. तोमर, लज्जाराम, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली, जनवरी 2014, पृ.सं. 23-25
6. भगवती सूत्र भाग-3, पृ.सं. 257
7. अल्तेकर, ए.एस., दी पोजीशन ऑफ वीमेन इन इण्डियन सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2016, पृ.सं. 16
8. जातक पृष्ठ 249, कणवेर जातक, 318, सुलसा जातक 419
9. संयुक्त निकाय (हिन्दी अनुवाद) 7/2/4, पृष्ठ 141
10. विद्यालंकार, सत्यकेतु, भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, सरस्वती सदन, मसूरी, 1956, पृ.सं. 263
11. शास्त्री, कैलाश चन्द्र, जैन साहित्य का इतिहास, श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रंथमाला, वाराणसी, 1976, पृ.सं. 113
12. हार्नर, आई.बी., वीमेन अण्डर प्रिमिटिव बुद्धिज्म, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2007, पृ.सं. 42
13. पाण्डेय, विमलचन्द, भारतवर्ष का सामाजिक इतिहास, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, 2000, पृ.सं. 20
14. तातेड़, सोहन राज, सिंह विद्यासागर, प्राचीन भारत का आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक इतिहास (भाग-2), खण्डेलवाल पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2015, पृ.सं. 77-78
15. सिंह वी.एन., सिंह जनमेजय, नारीवाद, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2012, पृ.सं. 20